[14/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2213]

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्रमाक-एफ-2(क)/39/2010/बी-3/दो : राज्य शासन व्दारा इस विभाग के पत्र क्रमांक 44/4428/94/बी-3/2 दिनाक11.1.1995 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अगस्त,2010 को निरस्त करते हुए नगरीय/अर्ध-शहरी थाने, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नवीन पुलिस थानों में विभिन्न प्रकार के संपादित होने वाले कार्यो के लिये आवश्यक बल की गणना के आधार हेतु निम्नानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :-

क.	थाना	आने वाला क्षेत्र	न्यूनतम बल								अपराध	जनसंख्या
			निरी.	उनि.	सउनि	प्रआ	आर	प्रआ (म)	आर (म)	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	नगरीय थाना	नगर निगम/ नगर पालिका क्षेत्र एवं जिला मुख्यालय के थाना	1	8	10	13	40	1	2	75	300	50000
2	नगर पंचायत के थाने	नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनु विभागीय अधि. पुलिस व तह. मुख्या. के थाना	1	3	6	11	27	-	2	50	200	50000
3	ग्रामीण थाना	ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले शेष थाने	-	1	4	9	20	-	1	35	200	40000
4	ग्रामीण थाना	नक्सली प्रभावित क्षेत्र में आने वाले थाने	-	1	4	8	31	-	1	45	-	-

उपरोक्तानुसार थानों के लिये निर्धारित न्यूनतम बल का निर्धारण पत्रक संलग्न हैं। न्यूनतम बल के मापदण्ड का निर्धारण कॉलम 12 एवं 13 में दर्शित अपराध एवं जनसंख्या के लिए किया गया हैं।

अनु. अधिकारी गृह पु.
बी 3 (म.प्र.)

--2

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम बल में आबादी एवं थाने की साम्प्रदायिक रुप से अति-संवेदनशीलता तथा थाना क्षेत्र में जिला कार्यालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालय के स्थित होने के आधार पर निम्नानुसार अतिरिक्त बल स्वीकृत किया जायेगा -

क	बल वृध्दि का आधार	नगरीय थाना	नगर पंचायत का थाना	ग्रामीण थाना
1	न्यूनतम बल के लिये निर्धारित आबादी में प्रत्येक 15000 की संख्या बढ़ने पर एक बीट इकाई	सउनि-1 प्रआर-1 आर- 4 योग- 6	प्रआर-1 आर- 3 योग- 4	प्रआर-1 आर- 3 योग- 4
2	न्यूनतम बल के लिये निर्धारित अपराध में प्रत्येक 100 भा.द.वि. के अपराध बढ़ने पर एक विवेचना टीम	उनि.- 1 सउनि- 1 प्रआ- 1 आर- 3 योग- 6	उनि- 1 सउनि-1 प्रआ- 1 आर- 2 योग- 5	प्रआ-1 आर-3 योग-4
3	सांप्रदायिक रुप से अति- संवेदनशील थानों में	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		
4	वैसे थाने जहां कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय या जिला न्यायालय स्थित हैं	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		
5	जहॉं राज्य मंत्रालय एवं पुलिस मुख्यालय स्थित हो	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		

3. चौकी स्थापना के लिये भी निम्नानुसार मापदण्ड नियत किये जाते है, परन्तु चौकी में स्वीकृत बल का समावेश अपराध, आबादी एवं अन्य मापदण्ड के आधार पर थानों के लिये कुल बल के निर्धारण में शामिल रखा जायेगा:-

क	क्षेत्र	उनि	सउनि	प्रआ	आर.	योग
1	नगरीय क्षेत्र में चौकी के लिये	1	1	3	10	15
2	ग्रामीण क्षेत्र के लिये	-	1	2	8	11
3	नक्सल प्रभावित क्षेत्र की चौकी के लिये	1	3	6	25	35

4. भविष्य में निर्मित होने वाले पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियों की स्थापना तथा बल वृद्धि के समय नियत संख्या के अन्दर उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत किये जावेंगे।

संलग्न- बल निर्धारण पत्रक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

25/11/10

(व्ही.के.वाधवानी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

अनु. अधिकारी गृह पु.
बी 3 (म.प्र.)

--3

क्रमांक-एफ-2(क)/39/2010/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपिः-

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. अति. पुलिस महानिदेशक, योजना एवं प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल,
4. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश,
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/11/10

(व्ही.के.वाधवानी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

...धिकारी गृह पु
...बी 3 (म.प्र.)